आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना।
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति।

भाड़े पर वाहन लेने हेतु पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना को सफेद रंग की एक इनोवा वातानुकूलित वाहन की आवश्यकता है। इस निमित्त निम्नांकित शर्त्तों के अधीन इच्छुक एजेन्सी/वाहन मालिकों से मुहर बन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय अलग-अलग लिफाफे में) आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. भाड़े का वाहन मासिक दर पर (पेट्रोल, चालक एवं अन्य अनुमान्य कटौतियों, यथा आयकर, सेवा कर इत्यादि सहित) लिया जायेगा एवं वाहन का व्यावसायिक निबंधन अनिवार्य है।
2. एजेन्सी अथवा वाहन मालिक के पास कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI), सेवा शुल्क संस्थानों का निबंधन तथा PAN का होना आवश्यक है।
3. एजेन्सी या मालिक के नाम से एक सफेद रंग की इनोवा निबंधित हो एवं वह वाहन अधिकतम एक वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
4. वाहन का किराया सभी कर एवं कटौती सहित संलग्न प्रारूप में होना चाहिए।
5. भाड़े के वाहन के रख-रखाव का दायित्व वाहन मालिक का होगा एवं चालक के पास प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा निर्गत ड्राईविंग लाईसेंस अनिवार्य होगा।
6. वाहन से संबंधित कागजात यथा टैक्स/बीमा आदि मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अद्यतन होना चाहिए एवं इसकी देयता की जिम्मेवारी पूर्णतया मालिक की होगी।
7. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी द्वारा उनके काली सूची में नहीं होने संबंधी शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. एजेन्सी/मालिक को किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी उपक्रम में वाहन आपूर्त्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र देना होगा।
9. एजेन्सी/मालिक को पिछले लगातार तीन प्राक्कलन वर्षों (2016-17, 2015-16 एवं 2014-15) का आयकर जमा करने का प्रमाण संलग्न करना होगा।
10. वाहन मालिक को वाहन किराये का भुगतान, अभिश्रव उपलब्ध होने पर किया जायेगा।
11. वाहन खराब हो जाने पर, वाहन मालिक का दायित्व होगा कि वे तुरंत अन्य सफेद रंग की इनोवा जो किसी भी परिस्थिति में एक वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, उपलब्ध कराएँ।
12. निविदा के साथ संलग्न सभी अभिलेख स्वतः अभिप्रमाणित होने चाहिए तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संलग्न सभी अभिलेख सही है।
13. निविदा के साथ 5,000/-रू0 बैंक ड्रॉफ्ट, जो "श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना" के नाम से भुगतेय हो, संलग्न करना होगा। निविदा में असफल निविदा दाताओं को यह राशि लौटा दी जायेगी।
14. जिन निविदादाताओं ने पूर्व में निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 5,000/- रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट संलग्न किया था, उन्हें पुनः अग्रधन के रूप में 5,000/- रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु निविदा के शर्त्तों के अनुरूप सभी अभिलेख पुनः समर्पित करना होगा।
15. सफल निविदादाता को जमानत राशि के रूप में 20,000/- रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट "श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना" के नाम से जमा करना होगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा के साथ जमा 5,000/- रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट, जमानत राशि के साथ सामंजित किया जा सकेगा।
16. सफल निविदादाता को श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना के साथ निविदा की शर्त्तों के तहत् एकरारनामा करना होगा। एकरारनामा हेतु आवश्यक व्यय मालिक/एजेन्सी पर भारित होगा।
17. इच्छुक वाहन मालिक/एजेन्सी सभी वांछित अभिलेख सहित कम्प्यूटर टंकित आवेदन के साथ दिनांक 12.04.2017 के अपराह्न 2:00 बजे तक श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति कार्यालय में मुहरबंद लिफाफे में निविदा जमा कर सकते हैं। तकनीकी और वित्तीय निविदा दो अलग-अलग बंद लिफाफे में होने चाहिए,

जिसपर स्पष्ट रूप से तकनीकी तथा वित्तीय निविदा तथा निविदादाता का नाम अंकित होना चाहिए। तकनीकी तथा वित्तीय निविदा के अलग–अलग लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में बंद कर जमा करना होगा, इस लिफाफे पर भी निविदादाता का नाम और उद्देश्य अंकित होना चाहिए।

18. प्राप्त निविदा दिनांक 12.04.2017 को 3:00 बजे अपराह्न में आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के सभाकक्ष में गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें वाहन मालिक स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। एजेन्सी/मालिक निविदा खोलने के समय संलग्न अभिलेखों की मूल प्रति साथ लायेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर जमा किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रति के साथ किया जा सके।

19. निविदा समिति में सफल होने वाले निविदा दाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

20. तकनीकी रूप से सफल निविदा दाताओं की वित्तीय निविदा को खोलने की तिथि एवं समय बाद में निर्धारित की जायेगी जिसकी सूचना ससमय मोबाईल/दूरभाष के माध्यम से दी जायेगी।

21. निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय अस्वीकृत करने का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्त को सुरक्षित रहेगा। अगर सेवा अनुकूल नहीं पायी जाती है तो मालिक की जमानत की राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं उस एजेन्सी/वाहन मालिक को प्रमण्डल स्तरीय काली सूची में रख दिया जायेगा।

22. जिनके वाहन का दर न्यूनतम होगा उन्हें ही वाहन आपूर्त्ति करने का आदेश दिया जायेगा एवं यह एकरारनामा की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक वर्ष के बाद सेवा संतोषप्रद रहने पर दोनों पक्षों की सहमति से एकरारनामा का अवधि विस्तार किया जा सकेगा।

<u>विहित–प्रपत्र</u>

वाहन का प्रकार	**दर (राशि रु0 में)**	
	मूल दर (ईंधन, चालक, रख–रखाव एवं अनुमान्य सभी कटौतियों सहित) 1,000 कि0मी0/माह	1000 कि0मी0/माह के बाद अतिरिक्त प्रति कि0मी0 के लिए दर
वातानुकूलित इनोवा (सफेद रंग)		

नोटः– <u>तकनीकी निविदा के साथ संलग्न अभिलेखों (छायाप्रति) की सूची</u> :–

(i) आवेदन
(ii) वाहन के व्यवसायिक निबंधन एवं क्रय रसीद
(iii) EPF/ESI/B.S.T. परिवहन विभाग में निबंधन की प्रति
(iv) PAN
(v) टैक्स तथा बीमा की प्रति
(vi) काली सूची में नहीं होने का शपथ–पत्र (मूल में)
(vii) विगत तीन प्राक्कलन वर्षों का आयकर जमा करने का प्रमाण पत्र
(viii) अनुभव प्रमाण पत्र
(ix) संलग्न अभिलेख की सत्यता के संबंध में शपथ पत्र
(x) 5,000/– रू0 का बैंक ड्रॉफ्ट

आयुक्त के सचिव, पटना प्रमण्डल, पटना
–सह–
प्रभारी पदाधिकारी
श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, पटना।